**भारत सरकार**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 2048**

**उत्तर देने की तारीख: 05.08.2026**

**सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई कार्यों के दौरान मौतें और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन**

**2048. श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई कार्यों के दौरान दर्ज की गई मौतों की राज्यवार संख्या कितनी है और ऐसे कितने मामलों में - मुआवजा, पुनर्वास और विधिक कार्रवाई की सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) निषेध के बावजूद सीवर एवं सेप्टिक टैंक की जोखिमपूर्ण सफाई में मानव श्रम की निरंतर संलिप्तता के कारण क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसके लिए उत्तरदायी ठेकेदारों, एजेंसियों और अधिकारियों के विरुद्ध किए गए निरीक्षणों एवं दर्ज अभियोजनों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने नगरपालिकाओं में स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरणों, सुरक्षात्मक उपायों और प्रशिक्षण की उपलब्धता तथा उनके अनिवार्य उपयोग को सुनिश्चित किया है?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**

**(श्री रामदास आठवले)**

**(क):** राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 01.01.2021 से 30.06.2026 तक सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई के कारण अपनी जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों, प्रभावित परिवारों को दिए गए मुआवजे तथा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दर्ज प्रथम सूचना रिर्पोट (एफआईआर) की राज्य-वार संख्या संलग्नक में दी गई है।

**(ख):** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई के दौरान कुछ मौतें "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" तथा " हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013" एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक

संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के तहत निर्धारित सुरक्षा सावधानियों का पालन न किए जाने के कारण हुई हैं।

**(ग):** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत स्वच्छता राज्य का विषय है। केंद्रीय स्तर पर ऐसा कोई डेटा नहीं रखा जाता है। तथापि, एनसीएसके द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 01.01.2021 से 30.06.2026 तक 193 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई हैं।

**(घ):** सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए जुलाई, 2023 में राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते) योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, देश भर में 89,915 सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों का सत्यापन किया गया है। 87,037 सत्यापित श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित किए जा चुके हैं। 753 आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ईआरएसयू) को सुरक्षा उपकरण प्रदान किए गए हैं; सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई की रोकथाम पर 1,851 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं तथा 5,307 एसएसडब्ल्यू को व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

संलग्नक-I

**सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई कार्यों के दौरान मौतें और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2048, जिसका उत्तर 05.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक**

01.01.2021 से 30.06.2026 तक सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई के कारण अपनी जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों, प्रभावित परिवारों को दिए गए मुआवजे तथा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है: -

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | मौतों की संख्या | दिया गया पूर्ण मुआवजा | दिया गया आंशिक मुआवजा | दर्ज एफआईआर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 5 | 5 | - | 5 |
| 2 | बिहार | 2 | 2 | - | - |
| 3 | दादरा और नगर हवेली | 3 | 3 | - | 3 |
| 4 | दिल्ली | 29 | 23 | - | 25 |
| 5 | गोवा | 1 | 1 | - | 1 |
| 6 | गुजरात | 27 | 27 | - | 8 |
| 7 | हरियाणा | 47 | 29 | 5 | 35 |
| 8 | झारखंड | 1 | 1 | - | - |
| 9 | कर्नाटक | 12 | 11 | - | 4 |
| 10 | मध्य प्रदेश | 13 | 12 | 1 | 7 |
| 11 | महाराष्ट्र | 58 | 42 | 5 | 24 |
| 12 | ओडिशा | 2 | 2 | - | - |
| 13 | पंजाब | 12 | 12 | - | 9 |
| 14 | राजस्थान | 23 | 23 | - | 20 |
| 15 | तमिलनाडु | 38 | 35 | - | 21 |
| 16 | तेलंगाना | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 17 | उत्तर प्रदेश | 37 | 23 | 3 | 18 |
| 18 | पश्चिम बंगाल | 13 | 9 | 3 | 11 |
| | **कुल योग** | **332** | **268** | **18** | **193** |

*****